राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11278/2019

भंवर लाल पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र लगभग 36 वर्ष, वर्तमान में निवास सनत हस्ती नगर के पीछे, झालामंड, जिला जोधपुर, राजस्थान

----अपीलार्थी

बनाम

1. सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

---

अपीलार्थी(गण) के लिए : डॉ. निखिल डुंगावत
प्रतिवादी(गण) के लिए : डॉ. प्रतिष्ठा दवे

---

**माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा**

**<u>आदेश (मौखिक)</u>**

**<u>22/05/2024</u>**

1. इस याचिका में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की सेवाओं को ड्राइवर के पद पर बहाल करने और दिनांक 13.03.2019 को उसके अभ्यावेदन (अनुलग्नक 2) पर निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग की गई है।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2016 में अनुबंध पर ड्राइवर के पद पर नियुक्त किया गया था।

2.1. याचिकाकर्ता ने 13 जनवरी, 2016 को विश्वविद्यालय परिसर में एक क्वार्टर के आवंटन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे बाद में मंजूरी दे दी गई और उसे क्वार्टर आवंटित कर दिया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता और उसके पति/पत्नी

के बीच विवाद के परिणामस्वरूप एक पड़ोसी ने मौखिक शिकायत दर्ज कराई। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को बेदखल कर दिया गया और मौखिक रूप से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

2.2. याचिकाकर्ता ने 11 मार्च, 2019 को प्रतिवादियों को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें उसके रोजगार के संबंध में उनके निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया, जिसमें उसकी गरीब स्थिति पर जोर दिया गया और इस तथ्य को उजागर किया गया कि उसके पिता लकवाग्रस्त हैं। हालांकि, यह अभी भी विचाराधीन है। इसलिए, तत्काल रिट याचिका।

3. याचिकाकर्ता के उपरोक्त कथन के जवाब में, प्रतिवादियों की ओर से एक उत्तर दाखिल किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता की सेवाएँ एक निजी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ली गई थीं। इस प्रकार विश्वविद्यालय उसका नियोक्ता भी नहीं था। हालाँकि, चूँकि उसके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी, इसलिए उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं।

5. यहाँ जो बात दिलचस्प है वह यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ता की नौकरी के बारे में एक स्वीकृति है, लेकिन उसकी सेवाओं को नियुक्त करते समय याचिकाकर्ता की शर्तों को दर्शाने वाला कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। न तो कोई नियुक्ति पत्र संलग्न किया गया है और न ही याचिका या उत्तर में किसी भी पक्ष द्वारा शर्तों के बारे में कोई तर्क दिया गया है।

6. हालांकि, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं प्लेसमेंट ठेकेदार/एजेंसी के माध्यम से अनुबंध के आधार पर ली गई थीं। इसलिए, यह मान लेना सुरक्षित है कि याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों के समान किसी भी वैधानिक नियम द्वारा शासित होने का लाभ नहीं मिला और यदि इसके लिए कोई और आवश्यकता नहीं थी या यदि उसकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गईं, तो उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त किया जा सकता था।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस तर्क पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि चूंकि शिकायत प्राप्त होने पर सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए प्रतिवादियों को सेवाओं को समाप्त करने से पहले जांच करनी चाहिए थी।

8. जबकि मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए कानून के सिद्धांत से सहमत हूं, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुबंध की किसी भी नियम और शर्तों की अनुपस्थिति में, यह न्यायालय याचिकाकर्ता की

सेवाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए तरीके पर निर्णय लेने में असमर्थ है।

9. जैसा भी हो, न्याय के व्यापक हित में और याचिकाकर्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए, तत्काल रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश और अवलोकन के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करना कलंक के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि वह अपने पिछले कार्य अनुभव के आधार पर किसी सरकारी विभाग या कहीं और आवेदन करना चाहता है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता किसी नौकरी के लिए पुनः आवेदन करता है, तो उसके पिछले अनुभव को उचित महत्व दिया जाएगा और उसकी सेवाओं को समाप्त करने संबंधी घटना कोई बाधा नहीं बनेगी।

11. यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उसका निपटारा किया जाता है।

**(अरुण मोंगा),जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।